ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 64-66
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

सामाजिक न्याय के उद्घोषक के रूप डॉ0 अम्बेडकर की भूमिका

लक्ष्मी कुमारी
एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, जे.डी.वीमेन्स कॉलेज पटना (बिहार) भारत

Received- 05.05.2019, Revised- 15.05.2019, Accepted - 21.05.2019 E-mail: sunny.deo92@gmail.com

सारांश : *डॉ. भीमराव अम्बेडकर एक महान् शिक्षाविद्, वक्ता, लेखक, विद्वान, दार्शनिक, साहसी, दूरदर्शी, विधिवेत्ता, समाजसुधारक और चतुर राजनीतिज्ञ के साथ–साथ सामाजिक न्याय के प्रणेता था। उन्होंने परिवर्तित समय की गति, जीवन के बदलते मूल्यों और आदर्शों को समझकर एक ऐसी भूमिका तैयार किये, जिसके माध्यम से समाज में छुआछूत, जातिवाद, वर्गभेद, विषमता, शोषण और अन्याय की ओर जन समुदाय का ध्यान गया। शोषित लोगों के मन, मस्तिष्क और भावना में शोषक के विरूद्ध क्रान्तिकारी विचार पैदा हुआ। एक नयी चेतना जागृत हुई, दलितों में सोये हुए आत्मसम्मान और आत्म विश्वास जागा। अम्बेडकर के विचार ने समाज को एक मानवतावादी चिन्तन प्रदान किया जिससे समाज में पूर्ण व्यवस्था और शान्ति कायम हो सकें।*

कुंजी शब्द – दूरदर्शी, छूआछूत, जातिवाद, वर्गभेद, विषमता, शोषण, अन्याय, जन–समुदाय, मस्तिष्क, दार्शनिक

डॉ. अम्बेडकर का कहना था कि आज समाज में जो असमानता और छुआछूत का बोलवाला है, उसका जन्मदाता हिन्दू धर्म ग्रन्थ, वेद, वेदांग, उपनिषद्, मनुस्मृति, रामायण, गीता, महाभारत, ब्राह्मण साहित्य के साथ–साथ कई हिन्दी और संस्कृत के मुख्य ग्रन्थ हैं,1 जिनको धर्म परायण हिन्दू आज भी प्रमाणिक ग्रन्थ मानते हैं। सभी धार्मिक ग्रन्थों का अम्बेडकर ने आलोचना किये और सामाजिक असमानता के लिए वर्ण व्यवस्था को दोषी मानते हुए कहा कि ''वर्ग व्यवस्था के इस असंतुलित वर्ग विभाजन के कारण विशेषाधिकार प्राप्त जातियाँ बन गयी है, जिससे असामाजिक भावनाएं पैदा होती है।2

भारतीय समाज वैदिक धर्म के मनुवादी विधान से जकड़ा हुआ था।3 उच्च नीच की भावना सम्पूर्ण समाज में व्याप्त थी। दलितों, शोषितों एवं पिछड़ों पर अत्याचार और व्यविचार की कोई सीमा नहीं थी। उनके थूकों से सड़क की पवित्रता को बचाने के लिए सड़क पर चलते समय उन्हें अपने गले में धड़ा बांधना (लटकाना) पड़ता था। सड़कों पर से पदचिन्ह को मिटाने के लिए पीछे से कमर में झाड़ीदार वृक्ष की टहनियां बांधनी पड़ती थी। तॉकि सड़क पर से उसके पदचिन्ह पीछे से मिटते चले जाय। लम्बी परछाई के कारण सुबह–शाम उनको घर से निकलना वर्जित था। लेकिन जब कभी उसे बहुत जरूरी कार्य से घर से निकलना पड़ता था तो उसके गले में घंटी होती या उसे टीन की प्लेट को पीटते हुए चलना पड़ता था ताकि ब्राह्मण देवता समझ जाय की कोई दलित आ रहा है। ब्राह्मण देवता दलित एवं शूद्रों के आवाज से भी अपवित्र हो जाते थे। जब किसी सवर्ण के दरवाजे र कोई दलित पैर रखते थे तो दरवाजा की मिट्टी काटकर गांव से बाहर फेंक दिया जाता था। गंगा जल और वैदिक मंत्रों के उच्चारण से उसे पवित्र किया जाता।4 अछूत वर्ग के लोगों को सार्वजनिक कुंओं से पानी निकालना, तालाबों में स्नान करना, मंदिरों में प्रवेश करना, सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों या हाट बाजारों में प्रवेश करना वर्जित था। वे अपने घर के बाहर खाट और चौकी पर नहीं बैठ सकते थे। कितना करूण दृश्य था कि अछूत लोग नरकीय जीवन व्यतीत करते थे। उनके बच्चे पानी के बिना तड़प–तड़प कर मर जाते थे लेकिन वह कुंआ और तालाब से पानी नहीं ला सकते थे। जहां वह मिट्टी को खोदकर कुंआ स्वरूप गढ़ा करके पीने की पानी का व्यवस्था करते थे उसमें आकर सवर्ण नवयुवक पैखाना कर देते थे। यह वर्ग सवर्णों से तंग आकर नरकीय जीवन जीते थे। डॉ. अम्बेडकर को सामाजिक न्याय और आरक्षण का ज्ञान कोल्हापुर के राजा छत्रपति शाहूजी महाराज से प्राप्त हुआ था।5 क्योंकि देश के अन्दर वे प्रथम महाराज थे जिसने सामाजिक न्याय के तहत आरक्षण लागू किया था। सामाजिक न्याय के प्रणेता डॉ0 अम्बेडकर कहा करते थे कि ''हिन्दू लोग अछूतों का उतना ही शत्रु है, जितना भारतीयों के लिए यूरोपीयन है। यूरोपीयन अभी तटस्थ है लेकिन हिन्दू लोग अछूतों एवं दलितों के कठोर विरोधी हैं। जितना जरूरत है देश को आजादी के लिए लड़ना उससे अधिक जरूरत है सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करना।6 इसलिए डॉ0 अम्बेडकर ने गाँधी जी और उनके अनुयायियों से पूछा था ''क्या अछूतों के बड़े समुदाय के बच्चों को सार्वजनिक स्कूलों में शिक्षा का आज्ञा न देते हुए भी आज राजनीतिक शक्ति पाने योग्य है? अछूतों को सार्वजनिक कुँओं, तालाबों, बाजारों के गलियों, मंदिरों और सार्वजनिक भवनों का उपयोग करने से रोकते हुए क्या आप आजादी के लिए संघर्ष कर सकते हैं? अछूत को अपने पसंद का भोजन, कपड़ा, गहना और भवन से वंचित रखते हुए क्या

अनुरूपी लेखक

आप स्वराज्य को प्राप्त कर सकते हैं? यदि आप इस सिद्धान्त को मानते हैं एक देश को दूसरे देश पर शासन करने का अधिकार नहीं है तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग पर शासन करने का अधिकार नहीं है। जहाँ सर्वसाधारण पर पुरोहित का शासन हो वहाँ पुरोहित शाही को समाप्त किये बिना स्वराज्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं हो सकता है। पुरोहितों का अन्याय जब तक दूर नहीं होगा तब तक अछूत लोग गुलामी के खिलाफ संघर्ष करने और मर मिटने को तैयार नहीं होंगे। जब गुलाम को गुलामी का अहसास हो जायेगा और दलित को शोषण का तब वह स्वयं क्रांति कर देगा।7 इसलिए डॉ0 अम्बेडकर ने एक ओर स्वराज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष छेड़ा तो दूसरी ओर अछूत एवं शोषितों के उत्थान के लिए सामाजिक क्रांति का बिगुल भी फूंका।

डॉ0 अम्बेडकर को गाँधी जी के द्वारा चलाये गये सवर्णों के हृदय परिवर्तन और सामाजिक सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों पर विश्वास नहीं था। उनका कहना था कि स्वतंत्रता और समानता का खोये हुए अधिकार याचना से नहीं कठिन संघर्ष से प्राप्त होते हैं।8 दूसरों के मुहताज बनने के जगह अपने हक के लिए लड़ना उन्होंने अधिक उपयुक्त समझा। वे छत्रपति शाहूजी महाराज और महात्मा फूले की तरह अछूतों एवं पिछड़ों की सामाजिक न्याय के लिए दृढ़ता के साथ लड़ते रहे और उसे अधिक व्यापक एवं मजबूत बनाने के लिए 'मूकनायक 1920' तथा 'वहिष्कृत भारत (1927)' नामक पत्रिकायें भी प्रकाशित किये। 19–20 मार्च 1927 ई. को अम्बेडकर ने महाड़ में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें लगभग 10 हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। डॉ0 अम्बेडकर ने अपने भाषण में दलितों को अपना पुराना कार्यों को छोड़ने, जंगल की खाली जमीन पर अधिकार करने, हीनता की भावना को छोड़कर स्वावलम्बन, स्वाभिमान और स्वविवेक के बल पर जीने और उंचे उठने का आह्वान किया था। सम्मेलन के उपरान्त इसी दिन सभी दलितों ने चवदार तालाब से पानी भरकर मुक्ति संग्राम का शुरूआत किया था। 13 नवम्बर 1927 ई. को दलितों ने अमरावती के अम्बा देवी मंदिर में प्रवेश किये थे। 25 दिसम्बर 1927 ई. को दलितों ने अम्बेडकर के नेतृत्व में सदियों से चली आ रही दासता की धार्मिक पुस्तक (हिन्दू कानून की पुस्तक) मनुस्मृति की एक–एक प्रतियां का अग्निकुण्ड में डालकर सार्वजनिक होली जलायी थी। अक्टूबर 1929 ई. में दलितों ने पूना के पार्वती मंदिर में प्रवेश किया था। अप्रैल 1930 ई. में 15 हजार दलित स्त्री पुरूषों ने नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश किये थे। मंदिर प्रवेश के नाम पर दलित एवं अछूतों की यह जागृति 'सामाजिक न्याय' की कुंजी थी।

अगस्त 1930 ई. में नागपुर के डिप्रैस्ड क्लासेज कांग्रेस ने अम्बेडकर के द्वारा दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग की गयी थी। 20 नवम्बर 1930 ई. को लंदन के गोलमेज सम्मेलन की पाँचवीं बैठक में अम्बेडकर ने सिंह गर्जना के साथ भारतीय दलित एवं अछूतों की समस्या को रखा था। अम्बेडकर के मुंह से भारत दलित एवं अछूतों के शोषण एवं अत्याचार को सुनकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड ढंभ रह गया था। अम्बेडकर के मांग पर दलितों को राजनीति में भागीदारी हेतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 17 अगस्त 1932 ई. को कम्युनल अवार्ड (साम्प्रदायिक पंचाट) को प्रकाशित किया था। जिसमें दलितों को राजनीतिक आरक्षण देने की चर्चा की गयी थी। दलितों को बहुत सुरक्षित स्थानों के अतिरिक्त समान निर्वाचन से भी चुनाव लड़ने की छूट दी गयी थी। दलितों को दोहरे मतदान का अधिकार मिला था जो डॉ. अम्बेडकर की तपस्या का ही परिणाम था।

गाँधीजी ने देखा कि दलितों को दोहरे मतदान का अधिकार मिलने से बहुसंख्यक हिन्दू अल्पसंख्यक हो जायेंगे। इसलिए वे 20 सितम्बर 1932 ई. से पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन पर चले गये, सभी सवर्ण नेता गाँधी जी के साथ थे। दलितों की राजनीतिक समस्या को लेकर कई दिनों तक बातचीत चलती रही। गाँधीजी की स्थिति नाजुक हो गयी थी। लाचार होकर अम्बेडकर को गाँधी जी की बातें माननी पड़ी, क्यों सभी सवर्ण नेताओं का अम्बेडकर के उपर दबाव था। 24 सितम्बर 1932ई. को शाम 5 बजे पूना समझौता पर दलितों की ओर से डॉ. अम्बेडकर और सवर्ण नेताओं की ओर मदनमोहन मालवीय का हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौता के अनुसार प्रान्तीय विधानसभाओं में दलितों के लिए 148 सीटें और केन्द्रीय एसेम्बली में 10 प्रतिशत सीटों पर दलितों को आरक्षण दिया गया था तथा आरक्षण की समयावधि 10 वर्षों के लिए तय हुआ था। इस समझौता को और अधिक व्यवहारिक बनाकर ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के अधिनियम 1935 ई. में शामिल किया था।

जब–जब अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय के प्रश्न को राष्ट्रीय मंच पर रखा तब–तब उसे अपमान का कड़वा घुट पीना पड़ा था। डॉ. अम्बेडकर दुखों, अभावों, प्रताड़ना और संघर्षों के ज्वलंत उदाहरण थे। छुआछूत मिटाना और दलितों को सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार दिलाना उनका दृढ़संकल्प था। आज वह महापुरूष हमारे बीच नहीं हैं लेकिन सामाजिक न्याय उद्घोषक के रूप में वह आज भी लाखों–करोड़ों दलितों के हृदय और मस्तिष्क में गंगा–यमुना की अवरिल धारा की तरह बह हा है। आज

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

दलित जो शिक्षित हुए हैं, विकसित हुए हैं और सरकारी सेवा में आये वह डॉ. अम्बेडकर के संघर्ष का ही परिणाम है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. बी.आर. अम्बेडकर – राइटिंग एण्ड स्पीचः कास्ट इन इण्डियॉ, भाग–1, बम्बई 1946, पृ.16
2. कुबेर – डॉ. अम्बेडकर ए क्रिटिकल स्टडी पिपुल्स पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली 1979, पृ.293
3. आर.एल. चन्दापुरी– भारत में ब्राह्मण राज्य और पिछड़ा वर्ग आन्दोलन, पटना, 7996, पृ.85
4. वही, पृ.57
5. वही, पृ.65
6. डॉ. आर.जी. सिंह– भारतीय दलितों की समस्याएँ एवं उनका समाधान, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1986, पृ.82
7. आर.एल.चन्दापुरी – भारत में ब्राह्मण राज्य और पिछड़ा वर्ग आन्दोलन, मिशन प्रकाशन पटना, 1996, पृ.65
8. डॉ. आर.जी. सिंह– भारतीय दलितों की समस्याएँ एवं उनका समाधान, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, मध्य प्रदेश, भोपाल, 1986, पृ.82–85

*****